



उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ

फोन नं० 7607355882

पत्रांक 197 / एच०एम०बी० / 372 / 2014 / TC

दिनांक 12-1-2021

सेवा में,

समस्त प्रबंधक/प्राचार्य,

डी०एच०पी० कालेज,

उत्तर प्रदेश।

विषय:—डी०एच०पी० सत्र 2020-21 की सम्बद्धता शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड से सम्बद्ध निजी क्षेत्र में संचालित डी०एच०पी० कालेजों द्वारा प्रत्येक वर्ष सम्बद्धता शुल्क जमा किया जाता है, जिस कालेज का डी०एच०पी० सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा न किया गया हो वो ऑनलाइन माध्यम से सम्बद्धता शुल्क रू० 15000/- जमा कर दें। यदि आपके द्वारा सम्बद्धता शुल्क नहीं जमा किया जाता है तो यह स्पष्ट होगा कि डी०एच०पी० कोर्स का संचालन करने हेतु इच्छुक नहीं है, जिससे आपकी मान्यता समाप्त मानी जायगी।

भवदीय,

(विनोद कुमार यादव)
रजिस्ट्रार।